फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री त्रिलोकचन्द | **विपक्षी : राजस्थान राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम | **पत्रावली संख्या : 39/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक 18.11.2021

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प नूरडा में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर प्रकरण को स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा अपने जवाब अनुसार नाम संशोधन किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम भंवरलाल पिता अम्बालाल गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा जवाब प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से पुनः नाम सही कराने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मतदाता पहचान पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, बैंक पास बुक की प्रति प्रस्तुत कर नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में भंवरलाल पिता अम्बालाल दर्ज हैं, जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने समस्त दस्तावेजात में नाम त्रिलोकचन्द पिता अम्बालाल अंकित है। प्रकरण में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट में भी तहसीलदार द्वारा भंवरलाल एवं त्रिलोकचन्द दोनों एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में गलत अंकित होने से सही किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा [illegible] पटवार हल्का नूरडा की आराजी नम्बर 2602/1150 क्षेत्रफल [illegible] भूमि में खातेदार भंवरलाल पिता अम्बालाल के बजाय [illegible] त्रिलोकचन्द पिता अम्बालाल संशोधित किया जावे। [illegible] बदस्तुर रहे। पालना तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली [illegible] सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mayank Manish
Date: 2021.11.25 12:38:16 IST
Reason: SelfAttested